नवोदय विद्यालय समिति
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
भारत सरकार
बी-15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.) -201309
दूर. 0120-2405969,70,71,72,73, फैक्स : 0120-2405182

Navodaya Vidyalaya Samiti
Ministry of Human Resource Development
(Deptt. of School Education & Literacy)
Government of India
B-15, Institutional Area, Sector-62, NOIDA (U.P.)- 201309
Tel. 0120-2405969,70,71,72,73, Fax : 0120-2405182
वेबसाइट/Website : www.nvshq.org

फा.नं. 3-1/2017-न.वि.स.(हि.प्र.) दिनांक: 18.7.2017

सेवा में,

1. उपायुक्त
नवोदय विद्यालय समिति
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

2. प्राचार्य,
सभी जवाहर नवोदय विद्यालय
(नविस की वेबसाइट के माध्यम से)

विषय : **संसदीय राजभाषा समिति के नौंवे प्रतिवेदन पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश**

महोदय/महोदया,

मानन संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उनके परिपत्र संख्या 13035-5/2017-रा.भा.ए. दिनांक 08 जून, 2017 (प्रतिलिपि संलग्न) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति के नौंवे प्रतिवेदन पर माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश प्रेषित किए गए हैं।

उक्त आदेश स्वतः स्पष्ट हैं। कृपया इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

पह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

भवदीय,

डा. राजीव कुमार

(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त (स्था-I)

संलग्नक : यथोपरि

प्रतिलिपि:- वेबमास्टर, न.वि.स. - कृपया इसे न.वि.स., मुख्यालय की वेबसाइट पर डालें।

फा.सं. 13035-5/2017-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 08 जून, 2017

आयुक्त के.वि.सं. Dy No. 688 05 JUL 2017 Commissioner K.V.S.

परिपत्र

विषय: संसदीय राजभाषा समिति के नौवें प्रतिवेदन पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश।

****

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा संसदीय राजभाषा समिति के नौवें प्रतिवेदन पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए हैं। मंत्रालय के दोनों विभागों तथा इनके अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित आदेशों पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:-

1. सभी कार्यालय प्रशिक्षण कार्य की ओर विशेष ध्यान दें और प्रशिक्षण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाएं, ताकि प्रशिक्षण कार्य एक वर्ष में पूरा हो सके। नए भर्ती होने वाले जिन कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।
2. कंप्यूटरों पर अविलंब द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कंप्यूटरों पर काम करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे हिंदी में भी कार्य कर सकें।
3. प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाएं।
4. राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ अपने कार्यान्वयन में सुधार लाएँ और सभी बैठकों में सभी मदों की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर किया जाए।
5. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अवश्य सुनिश्चित की जाए और बैठक के दौरान कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में हो रही राजभाषा संबंधी प्रगति पर नजर रखी जाए।
6. सभी कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि वे अपने नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य बन गए हैं।
7. प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कम से कम एक हिंदी पद अवश्य सृजित किया जाए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम हिंदी पद सृजन की इस अवधारणा को तत्काल लागू किया जाए।
8. एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त पड़े हुए हिंदी के पदों को समाप्त नहीं किया जाए।
9. कार्यालयों द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाए।

फा.सं. 13035-5/2017-रा.भा.ए.

पूर्व पृष्ठ से:-

10. जहाँ तक संभव हो हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में ही विज्ञापन जारी किए जाएं।
11. द्विभाषी रूप में जारी किए जाने वाले विज्ञापन डिग्लॉट रूप में दिए जाएं।
12. लागत को समान रखने के लिए हिंदी के विज्ञापन बड़े आकार में तथा मुख पृष्ठ पर दिए जाएं, जबकि अंग्रेजी के विज्ञापन छोटे आकार में अंतिम पृष्ठ या बीच के पृष्ठ पर दिए जाएं।
13. कार्यालयों/पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50 प्रतिशत या कार्यालय व्ययका न्यूनतम एक प्रतिशत, जो भी राशि अधिक हो, वह हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाए।
14. कार्यालय में चल रही मौलिक पुस्तक लेखन योजना, यदि कोई हो, को और अधिक आकर्षक बनाया जाए और पुरस्कार राशि में वृद्धि की जाए।
15. हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य से जुड़े कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

केवल शर्मा

(केवल कुमार शर्मा)
सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि:-

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी ब्यूरो।
3. सचिव, राजभाषा विभाग को उनके दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के अ.शा. पत्र सं. 20012/01/2017-रा.भा.(नीति) के संदर्भ में।
4. सी.एम.आई.एस. यूनिट को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. गार्ड फाइल।